

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक : 03 / सम्पुष्टि-06 07 / 2013..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान् पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का नाम/आई.डी. कोड/जन्म तिथि                            | नियुक्ति की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-03) एवं ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                      | 3                | 4                                                                                                                                            | 5         |
| 1       | श्री अनिल कुमार सिन्हा<br>जे 4452 / 15.01.49 / रूपांकण<br>प्रमंडल सं.-04, सिंचाई देवघर | 28.02.73         | 01.09.08                                                                                                                                     |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतये राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर / कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल-04, सिंचाई देवघर को श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता की सेवापुस्त (मूल रूप में) के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3487

राँची, दिनांक :- 27.6.13

प्रतिलिपि:- वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-06 / 2012..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का नाम/आई.डी. कोड/जन्म तिथि                                 | नियुक्ति की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-03) एवं ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                           | 3                | 4                                                                                                                                            | 5         |
| 1       | श्री बिक्रमा चौबे<br>जे 5093 / 16.06.53 / समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची | 05.02.79         | 05.02.09                                                                                                                                     |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतये राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, रूपांकण समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची / अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3488 राँची, दिनांक :- 27-6-13

प्रतिलिपि:- वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-23 / 2012..... / राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियन्ता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान पी.बी.-III, ग्रेड पे रू. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का नाम/आई.डी. कोड/जन्म तिथि          | नियुक्ति की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-03) एवं ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                    | 3                | 4                                                                                                                                            | 5         |
| 1       | श्री नीलाम्बर ठाकुर<br>जे 4364 / 19.05.53 / सिंचाई<br>अंचल, साहेबगंज | 24.11.76         | 01.09.08                                                                                                                                     |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतये राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, देवघर/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई अंचल, साहेबगंज/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3489 राँची, दिनांक :- 27.6.13

प्रतिलिपि:- वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-10 / 2013..... / राँची, दिनांक : ..... /

**आदेश**

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियन्ताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

| क्रमांक | सरकारी सेवक का नाम एवं कार्यालय का नाम/आई.डी. कोड/जन्म तिथि                        | नियुक्ति की तिथि | तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-03) एवं ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि | अभ्युक्ति |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                  | 3                | 4                                                                                                                                            | 5         |
| 1       | श्री संजीवन कुमार गुप्ता<br>जे 353एम/ 02.01.50 / सिंचाई<br>यांत्रिक प्रमंडल, राँची | 06.02.73         | 01.09.08                                                                                                                                     |           |

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतये राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, यांत्रिक राँची / श्री संजीवन कुमार गुप्ता, कनीय अभियन्ता की मूल सेवापुस्त के साथ / कार्यपालक अभियन्ता, यांत्रिक प्रमंडल, राँची / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.- यथोक्त।

ह. / -

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

3490

राँची, दिनांक :-

28.6.13

प्रतिलिपि:- वायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( मनोज कुमार )  
अवर सचिव (प्र.)